न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 41/2025 निर्णय दिनांक 24.04.2026
ऑनलाईन नम्बर 2023/89

1. मामराज नाथ पुत्र रिजरामनाथ जाति सिद्ध निवासी बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. लक्ष्मणनाथ पुत्र रिजरामनाथ जाति सिद्ध निवासी बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
3. होलासी देवी पत्नी रिजरामनाथ जाति सिद्ध निवासी बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

—वादीगण—

बनाम

1.राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ।
2. मुनीरामनाथ पुत्र पूर्णनाथ जाति सिद्ध निवासी बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक वादीगण।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. श्री ललित कुमार मारू अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से दावा निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत हैं कि वादीगण गांव बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के स्थायी निवासी है । जिनकी पैतृक खातेदारी कि कृषि भूमि रोही ग्राम बेनीसर में स्थित है। वादीगण के पिता/पति रिजरामनाथ व उनके भाई मुन्नीनाथ पुत्रगण पूर्णनाथ जाति सिद्ध निवासी बेनीसर की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर पुराना 278 व 279 रोही ग्राम बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित थे जो उनके पैतृक खातेदारी के खेत थे। वादीगण के पिता/पति एवं उनके भाई मुन्नीनाथ द्वारा अपनी संयुक्त खातेदारी के वादगत खेतों का बंटवारा बहिस्सा बराबर दिनांक 04.06.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प जोधासर में किया गया। उक्त विभाजन का इंतकाल संख्या 341 दिनांक 04.06.2015 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया। उक्त विभाजन पत्र एवं इंतकाल संख्या 341 दावा के साथ संलग्न है । उक्त विभाजन में खेत खसरा नम्बर 279 में पश्चिमी तरफ वादीगण के पिता/पति एवं पूर्वी तरफ प्रतिवादी संख्या 2 की कब्जे काश्त अनुसार विभाजन किया गया एवं इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 278 में पश्चिमी तरफ वादीगण के पिता/पति एवं पूर्वी तरफ प्रतिवादी संख्या 2 के कब्जा काश्त अनुसार विभाजन किया गया था एवं उसी अनुसार कब्जा काश्त शुरू से लेकर आज दिनांक तक वादगत खेतों पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 की चली आ रही है। जिसका अंकन इंतकाल संख्या 341 कि पुस्त पर अंकित है। वादगत खेत खसरा नम्बर 278 का विभाजन होने के बाद नये खसरा नम्बर 713/278 पश्चिमी रकबा 1.5500 हैक्टेयर वादीगण के पिताध्पति रिजरामनाथ के नाम व खसरा नम्बर 714/278 पूर्वी रकबा 1.5500 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

प्रतिवादी संख्या 2 मुन्नीरामनाथ के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज किया गया एवं इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 279 का विभाजन होने के बाद नये खसरा नम्बर 715/279 पश्चिमी रकबा 1.9300 हैक्टेयर वादीगण के पिताध्पति रिजरामनाथ के नाम व खसरा नम्बर 716/279 पूर्वी रकबा 1.9300 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 2 मुन्नीरामनाथ के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया परन्तु नक्शा तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा विभाजन एवं मौका पर कब्जा काश्त के विपरीत नक्शा में तरमीम कर दिया गया। मुताबिक विभाजन एवं कब्जा काश्त खसरा नम्बर 713/278 व 715/279 मुल खसरा में पश्चिमी तरफ एंव खसरा नम्बर 714/278 व 716/279 मुल खसरा में पूर्व तरफ नक्शा तरमीम होना चाहिए था। उक्त विभाजन एवं कब्जा काश्त के विपरीत गलत किये गये अंकन को वादीगण घोषणा करवाकर रिकार्ड दुरूस्ती के जरिये सही करवाने के अधिकारी है । वादगत रकबा खसरा नम्बर 278 व 279 में वादीगण कि कब्जा काश्त शुरू से ही पश्चिमी तरफ चली आ रही है एवं प्रतिवादी संख्या 2 की पूर्वी तरफ चली आ रही है जबकि नक्शा तरमीम मौका एवं रिकार्ड के विरूद्ध दर्ज होने से वादीगण घोषणा के जरिये कब्जा काश्त अनुसार दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण के पास कृषि भूमि ही जीवन यापन का एकमात्र आधार हैं तथा वादीगण ने अपने कब्जा काश्त कि कृषि भूमि को खाद आदि डालकर उपजाऊ बनाकर उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहें हैं परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 ने गलत दर्ज तरमीम का बैजा फायदा उठाकर वादीगण के हिस्सा की भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी है। यही वादकरण वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध हासिल है। स्टेट द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण किया जाता हैं एवं दावा राजस्व रिकार्ड में नक्शा दुरूस्ती का होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया हैं। स्टेट के विरूद्ध अलग से कोई अनुतोष नही चाहा गया है। इसलिए दावा धारा 80 (1) सी.पी. सी. के नोटिस के अभाव में धारा 80 (2) सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय की अनुमति से प्रस्तुत किया जा रहा है। चुंकि दावा घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती का हैं जिसमें कृ षि भूमि कि मालिक सरकार हैं इसलिए कानूनी आपतियों को ध्यान में रखते हुए स्टेट को प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत खेत रोही ग्राम बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित होने से दावा श्रीमान् जी के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। दावा रिकार्ड की जानकारी से हर प्रकार से अन्दर मिंयाद प्रस्तुत है। दावा हर प्रकार से उचित एवं पूर्ण कोर्ट फिस पर प्रस्तुत है । अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि वादीगण का दावा निम्न प्रकार से सादर डिक्री फरमाया जावें–

(क) मुताबिक विभाजन एवं कब्जा काश्त अनुसार मुल खसरा नम्बर 278 में वादीगण का पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 713/278 व प्रतिवादी संख्या 2 का पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 714/278 एवं मुल खसरा नम्बर 279 में वादीगण का पश्चिमी तरफ 715/279 व प्रतिवादी संख्या 2 का पूर्वी तरफ खेत खसरा नम्बर 716/279 को राजस्व रिकार्ड में घोषित किया जावें।

(ख) यह कि मुताबिक विभाजन एवं कब्जा काश्त अनुसार मुल खसरा नम्बर 278 में वादीगण का पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 713/278 व प्रतिवादी संख्या 2 का पूर्वी तरफ खसरा नम्बर 714/278 एवं मुल खसरा नम्बर 279 में वादीगण का पश्चिमी तरफ 715/279

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

व प्रतिवादी संख्या 2 का पूर्वी तरफ खेत खसरा नम्बर 716/279 दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड नक्शा अक्स में तरमीम करने का आदेश प्रतिवादी 1 को दिया जावें ।

(ग) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या दौराने दावा हितकर वादीगण हो जायें वह भी आज्ञाप्त फरमावें ।

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर ईकबाल जवाबदावा पेश किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। वादीगण की ओर से साक्ष्यवादी PW-1 में मामराजनाथ का शपथ पत्र पेश किया गया। मामराजनाथ के बयान लेखबद्ध किये गये। दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। प्रतिवादीगण को जिरह का अवसर दिया गया। जिरह प्रतिवादीगण शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट एवं प्रतिवादी संख्या 2 को वादी वाद स्वीकार करनें में आपत्ति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नंबर 713/278 तादादी 1.5500 हैक्टेयर वाकेरोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ की तरमीम को राजस्व एक्स में पश्चिमी तरफ व खेत खसरा नंबर 714/278 तादादी 1.5500 हैक्टेयर वाकेरोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ की तरमीम को राजस्व एक्स में पूर्वी तरफ एवं खेत खसरा नंबर 715/279 तादादी 1.9300 हैक्टेयर वाकेरोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ की तरमीम को राजस्व एक्स में पश्चिमी तरफ व खेत खसरा नंबर 716/279 तादादी 1.9300 हैक्टेयर वाकेरोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ की तरमीम को राजस्व एक्स में पूर्वी तरफ में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत विभाजन में रिकॉर्ड की स्थिति के नक्शानुसार संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत विभाजन में रिकॉर्ड की स्थिति का नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी शुभम शर्मा आरएएस

उनवान

1. मामराज नाथ पुत्र रिजरामनाथ जाति सिद्ध निवासी बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 2. लक्ष्मणनाथ पुत्र रिजरामनाथ जाति सिद्ध निवासी बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 3. होलासी देवी पत्नी रिजरामनाथ जाति सिद्ध निवासी बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1.राजस्थान राज्य, जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ 2. मुनीरामनाथ पुत्र पूर्णनाथ जाति सिद्ध निवासी बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 41/2023

दावा बाबत खाताः घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 24.04.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री कैलाश सारस्वत अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व स्टेट की ओर से पैरोकारराज एवं प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री ललित कुमार मारू अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नंबर 713/278 तादादी 1.5500 हैक्टेयर वाकेरोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ की तरमीम को राजस्व एक्स में पश्चिमी तरफ व खेत खसरा नंबर 714/278 तादादी 1.5500 हैक्टेयर वाकेरोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ की तरमीम को राजस्व एक्स में पूर्वी तरफ एवं खेत खसरा नंबर 715/279 तादादी 1.9300 हैक्टेयर वाकेरोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ की तरमीम को राजस्व एक्स में पश्चिमी तरफ व खेत खसरा नंबर 716/279 तादादी 1.9300 हैक्टेयर वाकेरोही बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ की तरमीम को राजस्व एक्स में पूर्वी तरफ में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत विभाजन में रिकॉर्ड की स्थिति के नक्शानुसार संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत विभाजन में रिकॉर्ड की स्थिति का नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 24 माह 04 सन् 2026 को जारी किया गया ।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)